तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज बाजदायरी प्रा0पत्र संख्या 1/2017 विधाराम बनाम लक्ष्मीनारायण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
6.2.2019	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का मुख्य कथन है कि बाजवा से संबधित मूल अपील में 15.12.2016 तारीख पेशी नियत थी। उक्त दिवस को प्रार्थीगण अपनी निजी रिश्तेदारी में शादी में गये हुये थे। प्रार्थीगण के वकील अन्य दीगर अदालतों में व्यस्त हो गये लेकिन 4.00 बजे जब वे अदालत हाज में आये तब तक प्रयकरण अदम हाजरी में खारिज हो चुका था। अपीलान्ट की गैर हाजरी कसदन नहीं की गई है बल्कि परिस्थितिवश की गई है। इसके अलावा अपीलान्ट को अधिकृत वकील द्वारा भी उसे आश्वासन दिया गया था बाबजूद इसके वह दीगर अदालतों में व्यस्त हो गये और प्रार्थी की मूल अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 15.12.2016 को खारिज कर दी गई। जिससे प्रार्थी न्याय से वंचित रह गया है यदि प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय नहीं हुआ तो प्रार्थी अपने हक हकूको से महरूम रह जायेगा। न्याय के प्राकृतिक सिद्यान्तों को मध्यनजर रखते हुये अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र बाजदायरी गलत तथ्यों पर पेश किया है। ओ0 9 जा0दी0 के प्रावधान दावे में लागू होते है। अपील संबधी प्रावधान ओ 41 रू0 19 जा0दी0 में विहित है। मौजूदा प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण काबिल खारिजी के है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई सन्तोषजन जबाब नहीं दिया गया है जिससे प्रार्थी की मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिया जा सके। अन्य स्थिति में अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के संबध में भारी हर्जे का एतराज भी है। अतः प्रार्थना पत्र मय खरचा खारिज फरमाया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पूर्व में वकील उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस/पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील संख्या 100/16 विधाराम बनाम लक्ष्मीनारायण दिनांक 15.12.2016 को गुणावगुण के आधार पर निर्णित न कर पक्षकार की उपस्थिति के अभाव में अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी। पत्रावली का अवलोन किया गया पूर्व की गत पेशियों पर नियमित उनके वकील उपस्थित रहे है । इसके अलावा प्रार्थी के परिस्थितिवश एवं उनके वकील द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाबजूद उपस्थित न होना जाहिर किया है। वकील अप्रार्थी द्वारा तर्क किया है कि उनके द्वारा नियमों के अंतर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। हमारी विनम्र राय में वकील की लापरवाही मात्र से किसी पक्षकार को उसके हक–हकूको के संदर्भ में उसको गुणावगुण के आधार पर न सुना जाना न्यायोचित नहीं रहता है। इसके अलावा पक्षकार की कानूनी मालूमात की कमी के कारण मात्र प्रावधानों के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण को आधार बनाया जाकर उस प्रार्थना पत्र के मूल गुण को अनदेखा कर देना भी न्यायिक नहीं रहता है। मूल अपील का अभी गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना शेष है लिहाजा प्राकृतिक न्याय सिद्यान्तों के मध्यनजर यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य रहता है। अतः भविष्य में प्रकरण में विधिवत पैरवी करने की हिदायत देते हुये यह प्रार्थनापत्र बाजदायरी 300/– रू0 की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता है। वकील प्रार्थी वकील अप्रार्थी को कॉस्ट अदा करें। यह प्रार्थना पत्र फ़ैसल शुमार होकर शामिल मूल अपील रहे। मूल अपील पुनः नये नम्बर पर दर्ज की जावे। आज्ञा सुनाई गई।	